रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 1973/आषाढ़ 16, 1895

No. 160] **NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1973/ASADHA 16, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June 1973

No. F. 3(15)-NS/73.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office (Time Deposits) (Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 1973.

2. In the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. *Categories of Accounts.*—The accounts shall be of four categories, namely, 1-year account, 2-year account, 3-year account and 5-year account."

3. In rule 7 of the said rules, after the words "one year", the words "two years", shall be inserted.

4. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1), after the words "one years", the words "two years", shall be inserted.

5. For rule 11 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

"11. *Interest.*—The Time Deposit shall carry interest at the rates specified in the Table below. The interest shall be paid annually and be subject to income-tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), but tax will not be deducted at source:

Period	*Rate of Interest Per Annum*
1-year.	6%
2-years.	7%
3-years.	7%
5-years.	7¼%

11A. *Conversion of 2 year account into 3 year account.*—In the case of a 2 year Time Deposit account, the depositor can at any time during the currency of the account convert it into 3 year account by applying to the post office where the account stands."

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जून, 1973

संख्या एफ 3(15)–एन० एस/73.—राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा डाक घर (सावधि जमा) नियमावली, 1970 में और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को डाक घर (सावधि जमा) (संशोधन) नियमावली, 1973 कहा जा सकेगा ।

(2) ये पहली अगस्त, 1973 से प्रवृत्त होंगे ।

2. डाकघर (सावधि जमा) नियमावली, 1970 (जिसे इसके बाद उक्त नियमावली कहा जायगा) के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"4–खातों की चार श्रेणियां होंगी अर्थात्: एक वर्षीय खाता, दो वर्षीय खाता, तीन-वर्षीय खाता और पांच वर्षीय खाता"

3. उक्त नियमावली के नियम 7 में शब्द "एक वर्ष" के बाद शब्द "दो वर्ष" जोड़े जायेंगे ।

4. उक्त नियमावली के नियम 9 के, उप-नियम (1) के अन्तर्गत शब्द 'एक वर्ष' के बाद शब्द 'दो वर्ष' जोड़े जायेंगे ।

5. उक्त नियमावली के नियम 11 के लिए निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे, अर्थात्

"11. ब्याज-सावधि जमा पर निम्नलिखित सारणी में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज मिलेगा। ब्याज की अदायगी वार्षिक की जायेगी और आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) के अधीन इस पर आय कर लगेगा लेकिन कर की कटौती स्रोत पर नहीं की जायेगी :

अवधि	ब्याज की वार्षिक दर
1–वर्षीय . . .	6 प्रतिशत
2–वर्षीय . . .	7 प्रतिशत
3–वर्षीय . . .	7 प्रतिशत
5–वर्षीय . . .	7 1/4 प्रतिशत

11क. **2 वर्षीय खाते को 3 वर्षीय खाते में परिवर्तित करना।**—2 वर्षीय सावधि जमा खाते के मामले में जमाकर्ता, खाते के चालू रहने के दौरान किसी भी समय, उस डाक घर में प्रार्थनापत्र देकर इसे 3-वर्षीय खाते में परिवर्तित करा सकता है, जिसमें उसका खाता हो"

बी मैत्रयन्, संयुक्त सचिव (बजट)।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973